

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

आदेश

क्रमांक:—एफ.3(27)विधि/का.बा./2013/1510 जयपुर, दिनांक 19/12/2013

माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष प्रस्तुत याचिका क्रमांक-4604-06/1999 तथा अन्य प्रकरणों में यह घोषित किया गया है कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(बी) असंवैधानिक है तथा इसे अपास्त किया गया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अब महिलाओं को रात्रि पारी में 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक कारखाने में कार्य करने की स्वतंत्रता है। उनकी सुरक्षा की देखभाल तथा अन्य मुद्दों पर माननीय उच्च न्यायालय ने महिलाओं को कारखाने में रात्रि के दौरान कार्य करने की कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। मुख्य कारखाना निरीक्षक, तमिलनाडु द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि इस निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय में कोई अपील लम्बित नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन उद्योगों में महिलाओं द्वारा कार्य करने की अनुमति भी दी गई है।

चूँकि माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66(1)(बी) के साथ ही उसके परन्तुक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 के उल्लंघन के फलस्वरूप असंवैधानिक घोषित किया है और अब उक्त प्रावधान कारखानों में महिलाओं को रात्रि पारी में कार्य करने के अधिकार में अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एतद् द्वारा राज्य के समस्त कारखानों में निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुए रात्रि पारी में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे के बीच महिलाओं को नियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है,—अर्थात्

1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्य स्थल अथवा संस्थान में संभावित यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना होने से रोकें तथा ऐसे घटना घटित होने पर उनका विवरण तथा अभियोजनात्मक कार्रवाई करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें।
2. सभी नियोजक अथवा कारखाना या कार्य स्थल के प्रभार के व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये उन्हें निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:—
 - (i) यौन उत्पीड़न जिसमें अवांछनीय यौन सम्बन्धी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर सम्मिलित हो, जैसाकि— शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिये माँग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियाँ, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

फातेम

- (ii) यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन बाबत नियम या विनियमन, कारखाना प्रबंधक द्वारा बनाया जावेगा तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरुद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था की जाने के साथ कारखाने में वर्तमान में लागू स्थाई आदेश में आवश्यक संशोधन भी किया जाए।
- (iii) कारखाने में पर्याप्त कार्य दशा की व्यवस्था की जाए जिसमें कार्य करने, अवकाश के समय स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का वातावरण हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिये प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिये यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके नियोजन से सम्बन्धित कोई अलाभकारी स्थिति है।
3. कोई आपराधिक प्रकरण की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों को उत्पीड़ित नहीं करें तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव नहीं बरतें। यदि प्रभावित श्रमिक के अनुरोध पर उन्हें पारी अथवा स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो भी आवश्यक व्यवस्था करें। नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।
 4. कारखाने में नियोजक, शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एक शिकायत-समिति जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवा का, जिसमें गोपनीयता बनी रहे, की व्यवस्था भी शामिल होगी।
 5. सभी शिकायत समिति की मुखिया महिला होगी तथा उसकी महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न होगी, इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि शामिल होगा अथवा ऐसा व्यक्ति होगा जो यौन उत्पीड़न के मामलों से भलिभाँति परिचित हो।
 6. महिला कर्मचारी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा तथा ऐसे दिशा निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जावेगा।
 7. जहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए वहाँ पर नियोजक अथवा कारखाने के अधिभारित व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाये जाने होंगे तथा प्रभावित व्यक्ति को समुचित सहयोग तथा सहायता घटना की रोकथाम के लिये दी जानी होगी।
 8. वे न केवल कारखानों के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगह जहाँ पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पारी के दौरान आवश्यकतानुसार आती-जाती होंगी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करेंगे।




9. नियोजक यह भी देखेंगे कि नियोजित महिला श्रमिक के एक बेच में, 10 से कम संख्या नियोजित न हों तथा रात्रि पारी में कारखानों में कुल नियोजित महिला श्रमिकों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक न हो।
10. रात्रि पारी के दौरान प्रवेश तथा निर्गम स्थल पर महिला श्रमिकों के लिये सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो।
11. महिला श्रमिकों के अग्रिम रूप से आगमन के दौरान तथा कार्य के घंटे के बाद बैठने के लिये पर्याप्त संख्या में वर्कशेड की व्यवस्था की जावें।
12. महिला श्रमिकों के लिये पृथक से कैंटीन की सुविधा की व्यवस्था का प्रावधान हो।
13. जहाँ पर नियोजक तथा कारखाने के अधिभोगी द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है वहाँ पृथक से परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जावेगी।
14. नियोजक प्रत्येक रात्रि पारी में कम से कम दो महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी।
15. कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पारी में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें पृथक से एक वाहन रखा जाएगा ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके।
16. जहाँ पर कारखाने द्वारा भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था महिला श्रमिकों के लिये की जाए, उसकी व्यवस्था मुख्य रूप से महिला वार्डन अथवा सुपरवाइजर के नियंत्रण में होगी।
17. रात्रि पारी के दौरान सुपरवाइजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमेन या अन्य सुपरवाइजरी स्टाँफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।
18. जहाँ पर महिला श्रमिकों को दिन की पारी से रात्रि की पारी में तथा रात्रि की पारी से दिन की पारी में किये जाने का प्रावधान हो, उसमें रात्रि पारी एवं अन्तिम पारी के बीच 12 निरंतर घंटे से कम का विश्राम नहीं होगा।
19. कार्य के घंटे के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्रावधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुसरण भी नियोजक द्वारा किया जावेगा।
20. कारखाना अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सुविधा के अतिरिक्त महिला श्रमिकों की माहवारी की अवधि में अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी दी जावेगी, जो कि रात्रि पारी के लिये सवैतनिक अवकाश के बराबर होगी।
21. महिला श्रमिक जो रात्रि पारी तथा नियमित पारी में काम करती हों, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा प्रमुख नियोजक के साथ होगी जिसे 8 सप्ताह में एक बार 'शिकायत दिवस' के रूप में हो तथा नियोजक

कावेरु

यह प्रयत्न करे कि उस व्यवस्था का परिपालन हो, नियोजक सभी उचित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था भी करें।

22. नियोजक, महिला श्रमिकों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रात्रि पारी में नियोजित करने हेतु स्वतंत्र होंगे, जिसमें उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन हो।
23. नियोजक प्रत्येक 15 दिन में रात्रि पारी में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।


(डी.के.चौधरी)

मुख्य निरीक्षक एवं पदेन उप सचिव
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग
राजस्थान, जयपुर